न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :— संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :— 54/2017
दायर दिनांक :— 07.09.2017
निर्णय दिनांक :— 31.01.2023

उनवान

1. कपूरा देवी पत्नि सूरजभानसिंह जाति राजपूत निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
2. संजू पुत्र सूरजभानसिंह जाति राजपूत निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
3. पप्पू पुत्र सूरजभानसिंह जाति राजपूत निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामनिवास पुत्र घासीलाल जाति माली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
2. जन्सीराम पुत्र घासीलाल जाति माली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
3. मुकेश पुत्र देवराम जाति माली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
4. रामफूल पुत्र देवराम जाति माली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
5. कजोड पुत्र रामधन जाति माली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
6. घासीराम पुत्र भौंरीलाल जाति माली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
7. हनुमान पुत्र रामजीलाल जाति माली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
8. जगदीश पुत्र गिरधारी जाति माली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
9. रेवड पुत्र नानगराम जाति माली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
10. गुल्ला पुत्र नानगराम जाति माली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
11. कैलाश पुत्र जौहरीलाल जाति माली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
12. गीता पत्नि रामजीलाल जाति माली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
13. छोटी पत्नि धोकलराम जाति माली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
14. कैलाश पुत्र मंगला जाति माली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा।

अप्रार्थीगण

उपस्थितः— 1. प्रार्थीगण की ओर से — श्री राजकुमार तिवाडी एडवोकेट।
2. अप्रार्थीगण की ओर से — श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.09.01 10:50:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 54/2017

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर किया गया है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा के रहने वाले है। ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 443 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 678 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 681 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 682/1 रकबा 0.11 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 139 है0 स्थित है। जिसकी

लगातार ....2....

खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। प्रार्थीगण की उक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई लेना देना वास्ता व सरोकार नहीं है। परन्तु अप्रार्थीगण ने एक संगीन गिरोह बना रखा है, जिसके तहत अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी करते रहते है तथा जानवरों द्वारा प्रार्थीगण की फसल को बर्बाद व नष्ट कर देते है। प्रार्थीगण को अपने हक हकूक एवं अधिकारों से वंचित करने के लिए आये दिन हैरान व परेशान अप्रार्थीगण द्वारा किया जाता है। दिनांक 02.09.2017 को अचानक अप्रार्थीगण एकराय होकर हाथों में लाठी डण्डे लेकर प्रार्थीगण की भूमि पर आये और प्रार्थीगण की भूमि में बिना अधिकारों के प्रवेश करने की कुचेष्टा की एवं प्रार्थीगण की भूमि की मिट्टी की डोली को तोडने लग गये व कहा कि हम प्रार्थीगण की भूमि में जबरन लाठी के बल पर कब्जा कर निर्माण करके रहेगे। इसलिए बिनायदावा पैदा होकर दावा करना लाजिम आया है। अप्रार्थीगण अपनी इस नाजायज व बेजा कार्यवाही में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण के जायज व कानूनी अधिकारों का हनन होगा। उपरोक्त समस्त तथ्यों से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस स्पष्ट प्रमाणित है एवं सुविधा संतुलन की तुला भी प्रार्थीगण के ही पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 443 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 678 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 681 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 682/1 रकबा 0.11 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 139 है0 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दखल मदाखलत पैदा करने से, जबरन लठ के बल पर बेदखल कर कब्जा करने से, निर्माण कार्य करने से व प्रार्थीगण की फसल को किसी प्रकार नुकसान करने से स्वयं अप्रार्थीगण को एवं अपने परिवारजन नौकर चाकर एजेन्ट सर्वेन्ट अधिकारी कर्मचारी मित्र एवं रिश्तेदार एवं हर तरफ से ताफैसला वाद पत्र जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 10, 11, 13, 14 की ओर से बावजूद तामील अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश नहीं करने के कारण इनका जवाब बन्द किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1, 3 लगायत 9 व 12 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि खसरा नम्बर 677 गै0मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है, जिसमें अप्रार्थीगण के करीब 60-65 साल से मकानात बने हुए है एवं खसरा नम्बर 678 गै0मु0 रास्ता दर्ज है जिसमें होकर अप्रार्थीगण आवागमन करते है। इसलिए उक्त खसरा नम्बर 677 एवं 678 पर मिन अप्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा भूमि खसरा नम्बर 677 मिन अप्रार्थीगण के पूर्वजों को जागीर के समय से पूर्व ही दे दी गई थी, जिस पर मिन अप्रार्थीगण मकानात बनाकर अपने परिवार सहित निवास करते चले आ रहे हैं तथा मिन अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर अपने विद्युत कनेक्शन भी ले रखे है। जिनका उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा मिन अप्रार्थीगण को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग का सुखाधिकार प्राप्त है। मिन अप्रार्थीगण में से कई अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत जीरोता खुर्द से

लगातार ....3....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:50:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

उक्त भूमि पर निवास करने का पट्टा प्राप्त कर रखा है। जिसमें से अप्रार्थी घासी पुत्र भौरीलाल ने उक्त पट्टे को कार्यालय उप पंजीयक दौसा के यहां पंजीकृत भी करवा रखा है तथा रणजीत, कन्हैया पुत्रान गिरधारी ने भी ग्राम पंचायत जीरोता से पट्टा प्राप्त कर रखा है। इसलिए मिन अप्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त होने के कारण आज प्रार्थीगण को कोई अधिकार उक्त भूमि बाबत शेष नहीं रह जाते है तथा प्रार्थीगण के सभी अधिकार समाप्त हो चुके है। खसरा नम्बर 678 भूमि राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज है। मिन अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 677 में रिहायशी मकानात बनाकर निवास करने के उपरान्त उक्त भूमि खसरा नम्बर 678 का रास्ते के रूप में उपयोग करते चले आने से उक्त खसरा नम्बर 678 पर भी मिन अप्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त है, जिसे आज प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से बन्द करने या मिन अप्रार्थीगण को रोकने से सदैव के लिए स्वयं ही एस्टोप्ड है। उक्त वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा असत्य तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है, जो विशेष हर्जा खर्चा पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज कर मिन अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से विशेष हर्जा 20,000/– रूपये दिलावें।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में उल्लेखित बातों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से भी जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बातों दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैः–

1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u> :– पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 443 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 678 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 681 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 682/1 रकबा 0.11 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 139 है0 प्रार्थीगण कपूरा देवी पत्नि सूरजभानसिंह, संजू, पप्पू पि0 सूरजभानसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। हालांकि प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है, किन्तु अप्रार्थीगण का कथन है कि खसरा नम्बर 677 गै0मु0 आबादी एवं खसरा नम्बर 678 गै0मु0 रास्ता दर्ज है जिन पर मिन अप्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त है। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 678 गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है। चूँकि रास्ते की भूमि सुखाचार की श्रेणी में आती है तथा रास्ते का उपयोग सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाता है [illegible] अप्रार्थीगण भी आवागमन हेतु उपयोग कर सकते है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक रूप से साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:50:08 IST
Reason: SelfAttested

2. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में होना रिकार्ड से साबित है, तथा इसकी पुष्टि अप्रार्थीगण की ओर से भी की गई है। यदि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में कोई दखलन्दाजी करता है,तो प्रार्थीगण को असुविधा होने की संभावना से इंकार

लगातार ....4....

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

नहीं किया जा सकता, किन्तु अप्रार्थीगण का कथन है कि खसरा नम्बर 677 गै0मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है, जिसमें अप्रार्थीगण के करीब 60–65 साल से मकानात बने हुए है एवं खसरा नम्बर 678 गै0मु0 रास्ता दर्ज है जिसमें होकर अप्रार्थीगण आवागमन करते है। इसलिए उक्त खसरा नम्बर 677 एवं 678 पर मिन अप्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त है। हालांकि अप्रार्थीगण के कथन के संबंध में कोई राय/निर्णय इस इस स्तर पर लिया जाना न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थीगण के उक्त कथन पर निर्णय मूल वाद में तनकी बनाकर एवं साक्ष्य/गवाह लेकर ही तय किया जा सकता है। गै0मु0 रास्ते की प्रकृति सार्वजनिक उपयोग की होती है। यदि गै0मु0 रास्ते की भूमि में आवागमन पर रोक लगाई जाती है, तो अप्रार्थीगण को असुविधा का सामना करना पड सकता है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक साबित तय किया जाता है।

3. <u>अपूर्णीय क्षतिः–</u> प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है, किन्तु प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक साबित है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक साबित तय किया जाता है।

प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है, किन्तु उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 678 गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है। रास्ते की भूमि सुखाचार की श्रेणी में आती है तथा रास्ते का उपयोग सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाता है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक रूप से साबित है। अतः ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 443 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 678 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 681 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 682/1 रकबा 0.11 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 139 है0 की भूमि खसरा नम्बर 678 गै0मु0 रास्ता में अप्रार्थीगण के सुखाधिकार को सुरक्षित रखते हुए मौके की वाद के निस्तारण तक यथास्थित बनाये रखने हेतु उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:50:08 IST
Reason: SelfAttested